संख्या-299/2017/2400/22-2-2016-17(09)/2002

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनराज सिंह पुत्र श्री भारत सिंह, निवासी-जनपद-मैनुपरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0-बैठक 28;10;2016 दिनांक 02-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी धनराज सिंह पुत्र श्री भारत सिंह, निवासी ग्राम-अलीपुर, थाना-बेवर जनपद-मैनुपरी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मामा की हत्या का बदला लेने की रंजिश को लेकर दिनांक 11-06-1980 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक एवं रायफल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-496/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,201 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05, मैनपुरी द्वारा दिनांक 28-01-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30-08-2001 को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक 14 वर्ष 01 माह 27 दिन की अपरिहार एवं 18 वर्ष 09 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी अपराधिक प्रवृत्ति का है यदि अभियुक्त की समयपूर्व रिहाई की जाती है, तो किसी भी घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने पर अपराध करने की सम्भवना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी धनराज सिंह (बन्दी संख्या-15026) पुत्र श्री भारत सिंह, निवासी जनपद-मैनपुरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-299/2017/2400/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in